

परिशिष्ट

देखिये नियम - 6

फार्म - क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की धारा-2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने फार्म

भाग - 1

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए

01	परियोजना विवरण	
i.	आपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना, एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र, साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर छ.ग. (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम) के अंतर्गत कोरबा ज़िले में सन् 1979 से संचालित है। यह परियोजना कोरबा शहर से लगभग 05 कि.मी की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इस परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष है।
ii.	1: 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	रिज़नल जियोमेटिक केन्द्र, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वनस्पति मानचित्र एवं वन परिधी नक्शों की सत्यापित प्रति संलग्न है।
iii.	परियोजना की लागत	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) की कुल लागत रु 7612.33 करोड़ है।
iv.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	राष्ट्रीय विकास हेतु कोयले उत्खनन/उत्पादन।
v.	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न किये जाने के लिए।	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) का कुल लागत लाभ विश्लेषण की वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा द्वारा सत्यापित प्रति चेकलिस्ट क्रमांक-13 के साथ संलग्न की गई है।

vi.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।		4130 (जिसमें से वर्तमान तक 2111 रोजगार दिया जा चुका है।)				
02	कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण						
	उद्देश्य	परिक्षेत्र	आरक्षित वन भूमि	संरक्षित वन भूमि	असिंचित वन भूमि	राजस्व वन भूमि	कुल वन भूमि
	भूगर्भ में स्थित कोयले का ओपन कास्ट पद्धति उत्खनन कार्य	कटघोरा वन परिक्षेत्र, कटघोरा वन मण्डल	निरंक	निरंक	निरंक	43.942 हे.	43.942 हे.
03	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो तो						
i.	परिवारों की संख्या		8200 कुल विस्थापित होने वाले परिवारों में से 1488 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। अन्य 6712 परिवार और विस्थापित होने हैं।				
ii.	अनुसुचित जाति/जनजातियों के परिवारों की संख्या		SC परिवार – 478 ST परिवार – 3100 अन्य परिवार – 3134				
iii.	पुनर्वास योजना संलग्न किये जाने के लिए।		एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र के कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (कोयला उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) का व्यवस्थापन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति एवं कोल ईंडिया लिमिटेड की विस्तृत पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति 2012 की अभिप्रमाणित प्रति चेकलिस्ट क्रमांक-25 के साथ संलग्न की गई है।				
04	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? या नहीं		हां, पर्यावरण स्वीकृति ली गई है। प्रतिलिपि चेकलिस्ट क्रमांक-11 के साथ संलग्न की गई है।				
05	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके उन्मुख (और/या) दण्ड स्वरूप वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत एवं क्षेत्र में वनीकरण की वचनबद्धता।		वचनबद्धता पत्र संलग्न है।				
06	निर्देशों के अनुसार संलग्न आपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा						
•	वनभूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र।		वचन पत्र चेकलिस्ट क्रमांक-10 में संलग्न किया गया है।				

•	एतिहासिक स्थल न होने संबंधित प्रमाण पत्र।	वचन पत्र चेकलिस्ट क्रमांक-27 में संलग्न किया गया है।
---	---	--

तारीख - 16.03.2023

स्थान - कुसमुण्डा क्षेत्र।


महाप्रबंधक
एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र



Regd. Office
SEEPAT ROAD,
POST BOX No: 60
BILASPUR (CG)

Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED
कोल इण्डिया का एक अंश / A Subsidiary of Coal India Ltd.)
कार्यालय महाप्रबंधक, कुसमुण्डा क्षेत्र
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
KUSMUNDA AREA
" A MINI RATNA COMPANY "

Tel: 07815-271233 (Off.)
Fax: 07815-271250

पो. कुसमुण्डा कॉलरी,
जिला कोरबा (छ.ग.)
PO: KUSMUNDA COLLY.
DIST: KORBA (CG)

दिनांक: एसईसीएल/महाप्रबंधक/कु. क्षेत्र/2021-22/

दिनांक: / / 2021

वचन पत्र

प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके उनुर्क्षाण ,और/याद्व दण्ड स्वरूप वनीकरण
की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार
संरक्षण लागत एवं क्षेत्र में वनीकरण की वचनबद्धता जमा करने बाबत

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा (छ.ग.) लिखित रूप से वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना की अवेदित राजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके उनुर्क्षाण ,और/याद्व दण्ड स्वरूप वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जमा करने एवं क्षेत्र में वनीकरण करने के लिए कुसमुण्डा क्षेत्र पूर्णतः वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक

एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र